162

R480 - I-17

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ...../...../.....

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री इन्द्र कुमार परधान पिता श्री छोटेलाल परधान (गौंड़)
निवासी-मकान नं. 210 ग्राम सालीवाड़ा(गौर) तहसील व जिला जबलपुर।

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 79/अ-21/2016-17 में पारित **अंतरिम आदेश** दि. 31/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी इन्द्र कुमार परधान पिता श्री छोटेलाल परधान (गौंड़)निवासी मकान नं. 210 ग्राम सालीवाड़ा(गौर) तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **कूम्ही** प.ह.नं. 79 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 43/2, 49/3, 51/1, 51/2 रकवा क्रमश 1.740, 1.600, 0.640, 0.600 हेक्टेयर कुल रकवा 4.58हेक्टेयर भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.01.2017 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3- प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के पास ग्राम करौंदी टिकरिया प.ह.नं. टिकरिया रा.नि.मं. बीजाडांडी तहसील नारायणगंज जिला मण्डला में खसरा नंबर 91, 239 रकवा क्रमशः 2.670, 0.610 हेक्टेयर कुल रकवा 3.28हेक्टेयर सिंचित भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

4- आवेदक श्री इन्द्र कुमार परधान द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत आवेदन पत्र में लेख किया है कि उसे अन्य भूमि की तरक्की हेतु एवं बैंक का ऋण चुकाने हेतु भूमि विक्रय करना चाहता है। जिस गैर आदिम जनजाति सदस्य की राशि वर्तमान गाइड लाइन से भूमि की कीमत अधिक होगी, उसे तद्नुसार वर्तमान गाइड लाइन वर्ष के अनुसार आवेदक आदिवासी को भूमि की कीमत का भुगतान किया जायेगा। प्रकरण में पेशी दिनांक 21.02.2017 नियत की गई। दिनांक 31.01.2017 को आवेदक स्वय उपस्थित होकर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई किये जाने हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया , जिसे कलेक्टर महोदय ने यह लेख कर कि आवेदक पक्ष द्वारा प्रकरण की शीघ सुनवाई हेतु आवेदित कारण के संबंध में कोई दस्तावेज अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है, साथ ही रूपयों की आवश्यकता के संबंध में कोई समाधानकारक/प्रमाण तर्क /दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः **शीघ्र सुनवाई हेतु कोई आधार प्रतीत नहीं**

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 480-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 79/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31-1-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम कूम्ही प.ह.नं. 79 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 43/2, 49/3, 51/1 एवं 51/2 रकबा क्रमशः 1.740, 1.600, 0.640 एवं 0.600 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति संहिता की धारा 165(6) के तहत दिए जाने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 6-1-17 को पंजीबद्ध कर दिनांक 24-2-17 के लिए ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया । इसके उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 31-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण पूर्ववत दिनांक 21-2-17 के लिए नियत किया गया है । कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई है । आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है	

निग-480-I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	बल्कि स्वयं की स्वअर्जित भूमि है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को क्रय करने को तैयार नहीं है । आवेदक को कर्ज अदा करने आदि के कारण रूपयों की आवश्यकता है । आवेदक की भूमि विक्रय करने के संबंध में बात गैर आदिम जनजाति के कुछ व्यक्तियों से चल रही है परंतु वे भूमि मिलने के उपरांत ही भूमि क्रय करने की बात कह रहे हैं । जिलाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क के लिए लंबी पेशी नियत करदी गई है जबकि आवेदक द्वारा जो आधार दिए गए हैं वे भूमि विक्रय की अनुमति देने हेतु पर्याप्त हैं । अंत में उनके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया है । आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा क्रय की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास विक्रय हेतु आवेदित भूमि के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामों में 3.280 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा संहिता की धारा 165 (6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम कूम्ही प0ह0नं0 79 रा0नि0मं0 खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 43/2	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 480–एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रकबा 49/3, 51/1 एवं 51/2 रकबा क्रमशः 1.740, 1.600, 0.640 एवं 0.600 हैक्टर भूमि की अनुमति संहिता की धारा 165 (6) के तहत गैर आदिम जनजाति के सदस्य को निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :- 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	